



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



24 AASHWIN, 1945 (S)

No. 611

RANCHI, MONDAY 16Th OCTOBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
16Th October, 2023

Notification No.- 6/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 36, Dated 16 th October, 2023-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 29 th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29 th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 3, in column (3), in item (ie), following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. –This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 03/2022- State Tax (Rate) dated the 23rd August, 2022.”;

(ii) against serial number 9, in column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), -

(a) for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(b) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;

(iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the Explanation, in clause(i), sub-clause(h) shall be omitted.

(B) in Annexure V,

(i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date” shall be substituted;

(ii) in note to the Annexure, for the words, figures and letters “ The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(C) after Annexure V, the following Annexure shall be inserted, namely:-

“Annexure VI**FORM**

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name Authorized Signatory :

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1 st January of the preceding Financial Year but not later than 31 st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 27 th July, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]

By the order of the Governor of
Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification number 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29 th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29 th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2023- State Tax (Rate), dated the 24 th July, 2023 published in the official gazette vide S.O. No. 29, dated the 24 th July, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना सं०. 6/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 36, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 --झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, आइटम (ie) में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

“व्याख्या -यह मद तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (iv), (v) और (vi) के उन उप-मदों को संदर्भित करता है जो अधिसूचना संख्या 03/2022- राज्य कर (दर) दिनांक 23.08.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।”;

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों “उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्त यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।”;

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों “वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है” के स्थान पर, शब्द और आंकड़े “वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूँ” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, शब्द, अंक और अक्षर” किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है” के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर” किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए

उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षके 31 मार्च तक किया जाएगा” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

“अनुलग्नक VI

प्रपत्र

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र ।

संदर्भ संख्या -

तारीख: -

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का अधिकृत प्रतिनिधिवित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर , हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मकैनैज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था । ;
2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष ... के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूँ;
3. मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है ।

कानूनी नाम: -

जीएसटीआईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जुलाई, 2023, जिसे एस. ओ. सं. 29, दिनांक 24 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
